सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान (इंजी.कालेज) विदिशा (म.प्र.)

MPTAAS - Scholarship Portal

एस.सी./एस.टी. एवं अन्य पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति योजना हेतु चैक लिस्टः सत्र 2025–2026

आनलाईन पोर्टल पर पात्रतानुसार भरे गये फार्म की हार्डकापी पर नामांकन नं....एवं मोबाइल नं.... जाति,कोर्स–ब्रॉच व ईयर अंकित करना है, तथा निम्न कमानुसार समस्त दस्तावेज (Self Attested) उल्लेखित कर चेक लिस्ट पर चिन्हित ✔ करके फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

1 (अ) **(Fresh) / (Renewal)** छात्र वर्तमान दोनो सेमस्टर की जमा फीस रशीद की प्रति।
(ब) छात्रावास में निवासरत छात्रों हेतु छात्रावास प्रमाण पत्र एवं जमा फीस रशीद की छायाप्रति।
2 **(Fresh)** 10बी. 12बी. परीक्षा एवं **(Renewal)** पिछले वर्ष के दोनों सेम.की अंकसूची की प्रति।
3 मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4 छात्र के माता – पिता या पालक का आय प्रमाण पत्र।

आवश्यक टीप :– यदि छात्र के पिता/माता पालक सेवारत कर्मी है तो कुल वार्षिक आय ग्रोस (सकल) वेतन के आधार पर तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के साथ ही उन्हे छात्रवृत्ति हेतु नियोक्ता (विभागीय कार्यालय) द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, एवं प्रत्येक वर्ष आय प्रमाण पत्र **(New)** जारी कराना होगा।

5 आधार कार्ड की छायाप्रति।
6 समग्र आई.डी.की छायाप्रति।
7 जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8(केवल **New** प्रवेशित या प्रथम बार के छात्र) टी.सी.व यदि गेप है तो गेप प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
9 चेक लिस्ट।

विशेष नोट :–

1. छात्रों के समस्त दस्तावेजों :– यथा: अंकसूची,मूलनिवासी,जाति,आय प्रमाण पत्र,आधार,समग्र आई. डी. आदि प्रमाण पत्रों में उनके व माता/पिता/अभिभावक का नाम व सरनेम एक समान होना अनिवार्य है।

2. आवेदन के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र प्रथमतः पिता का होना अनिवार्य है, अन्य किसी का भी आय प्रमाण पत्र लगाने पर पिता के बारे में स्पष्ट दस्तावेज देना भी आवश्यक होगा, इसके बगैर अन्य किसी का भी आय प्रमाण पत्र मान्य नही होगा, एवं पिता/माता दोनो सेवारत कर्मी है तो दोनो का ही आय प्रमाण पत्र प्रथक–प्रथक देना होगा।

3. (आधार लिंक) छात्र का बैक खाता **DBT, NPCI Active** होना अनिवार्य है। ई–भुगतान के समय यदि कोई त्रुटि रहती है तो उसकी समस्त जबावदारी छात्रों की स्वंय की होगी, और वह छात्रवृत्ति राशि से बंचित भी हो सकता है।

4. संस्था में प्रवेश के पूर्व किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय से वर्तमान सत्र या विगत वर्षों में स्नातक व स्नातकोत्तर के अन्य किसी पाठयक्रम में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नही की हो,यदि छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो उक्त प्राप्त छात्रवृत्ति राशि को शासन के बैंक खाते में वापिस जमा करनी होगी तथा संबंधित छात्रवृत्ति पोर्टल से अपना नाम हटवाना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही पात्रतानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

5. **किसी भी प्रवेशित छात्र को एक वर्ष में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।**

दिनांक :– **छात्र के हस्ताक्षर**